उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या-08/2022(1701/22)/3/4/35-आ0-2/2021-17
लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2022
कार्यालय ज्ञाप

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में निर्गत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक- 2402- मृदा तथा जल संक्षरण-103- भूमि सुधार तथा विकास-04- राज्य भूमि उपयोग परिषद के अर्न्तगत विभिन्न मानक मदों में मदवार रू0-62.25 लाख (रू0- बासठ लाख पच्चीस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या- 40

लेखाशीर्ष-2402-मृदा तथा जल संरक्षण (धनराशि लाख रूपये में)

मद संख्या	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आवंटित कुल आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम 04 माह (अप्रैल से जुलाई) हेतु भूमि उपयोग परिषद का लेखानुदान	वित्तीय वर्ष 2022-23 के शेष 08 माह (अगस्त से मार्च) हेतु भूमि उपयोग परिषद का आय-व्ययक
1	2	3	4	5
01	वेतन	55.18	18.39	36.79
03	मंहगाई भत्ता	20.42	6.81	13.61
04	यात्रा व्यय	0.50	-	0.50
06	अन्य भत्ते	0.04	0.01	0.03
08	कार्यालय व्यय	0.50	0.17	0.33
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.50	0.17	0.33
13	टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.07	0.13
15	गाडियो. का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	0.33	0.67
42	अन्य व्यय	0.50	0.17	0.33
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10	-	0.10
45	अवकाश यात्रा व्यय	0.50	-	0.50
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	3.00	-	3.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.17	0.33
49	चिकित्सा व्यय	3.50	1.17	2.33
51	वर्दी	0.60	-	0.60
55	मकान किराया भत्ता	4.00	1.33	2.67
	योग-:	91.04	**28.79**	**62.25**

(रू0- बासठ लाख पच्चीस हजार मात्र)

1- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक- 2402- मृदा तथा जल संक्षरण-103- भूमि सुधार तथा विकास-04- राज्य भूमि उपयोग परिषद के अर्न्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

2- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिका आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार प्रयागराज, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है ।

डा0 संजीव भारद्वाज
संयुक्त सचिव ।

संख्या-08/2022(1701/22)3/4/35-आ0-2/2021-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड प्रयागराज ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 के संबंध में ।
6- अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग ।
10- नियोजनअनुभाग-1
11- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in